

पत्र संख्या:-15/एम 1-53/2013-39
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय,
बिहार।

पटना, दिनांक

12/01/2015


विषय:- विद्यार्थी के आवेदन पत्र नामांकन पंजी एवं सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों में माता का नाम शामिल करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देश (3 अक्टूबर 2006) एवं सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सी) नं० 576/2014 माधव कांत मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के क्रम में कहना है कि सभी स्तर पर छात्र-छात्राओं के नामांकन में आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों में माता का नाम नामांकन पंजी में लिखने की व्यवस्था अनिवार्य किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी प्रकार के प्रमाण पत्र (महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र सहित) में भी माता का नाम का उल्लेख किया जाये अगर पूर्व से ऐसी व्यवस्था है, तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराये यदि पूर्णतः लागू नहीं है तो लागू कराना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन,


12/01/15
निदेशक(उच्च शिक्षा)
शिक्षा विभाग
पटना